बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

(शोध एवं प्रशिक्षण)

संकल्प

विषय :– राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में पूर्व सेवा कालीन एक वर्षीय बी० एड० कोर्स में प्रशिक्षुओं के नामांकन हेतु संशोधित मार्गदर्शिका 2013 ।

अनिवार्य एवं मुफ्त बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 के कार्यान्वयन के लिए राज्य में बड़ी संख्या में शिक्षकों की आवश्यकता को देखते हुए शिक्षकों का नियोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षित शिक्षकों के अभाव में अप्रशिक्षित शिक्षक भी नियोजित किये जा रहें है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार का यह दायित्व है कि अप्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों को प्रशिक्षित कराया जाय। राज्य में शिक्षकों के सेवा पूर्व एक वर्षीय प्रशिक्षण हेतु कुल छः राजकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय हैं, जिनमें से चार में माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। राज्य में नियोजित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु राजकीय अध्यापक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों में पूर्व सेवा कालीन एक वर्षीय बी० एड० कोर्स में नामांकन हेतु निर्गत मार्गदर्शिका संकल्प संख्या 11/व० 02–01/2002 –1068 दिनांक 04.07.2008 की संशोधित मार्गदर्शिका संकल्प संख्या 20/प्र० 07–44/2012 – 408 दिनांक 04.10.2012 की कतिपय कंडिकाओं को संशोधित किया जाता है, जो संशोधित मार्गदर्शिका 2013 कही जाएगी।

सत्र 2013–14 में राजकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों में नामांकन हेतु संशोधित मार्गदर्शिका संकल्प संख्या 20/प्र० 07–44/2012 – 408 दिनांक 04.10.2012 की कंडिका 1 (i) एवं 2 को निम्नवत् संशोधित किया जाता है :–

1. कंडिका 1 (i) – नामांकन हेतु अभ्यर्थियों की अनिवार्य योग्यता राज्य सरकार द्वारा ली गई माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) उत्तीर्ण एवं राज्य के सरकारी उच्च/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियोजित होना अनिवार्य होगी।

   (ii) – नामांकन हेतु सामान्य अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक या स्नातकोत्तर में 50 प्रतिशत अंको की होगी, जिसमें आरक्षित कोटे/निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए 5 प्रतिशत की छूट होगी। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारण हेतु अंको की गणना अतिरिक्त/ऐच्छिक विषयों के अंको के बिना की जायेगी।

   (iii) – राजकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों में प्रशिक्षण हेतु नामांकन के लिए निर्धारित 100 सीटों में से 50–50 सीटों पर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों से महाविद्यालय में प्रशिक्षण हेतु निर्धारित विषयों के लिए आवेदन प्राप्त किये जायेंगे।
2. कंडिका 2 – चयन का आधार राज्य सरकार द्वारा ली गई STET परीक्षा में आवेदित विषय में प्राप्त अंक का प्रतिशत होगा। STET में प्राप्त प्रतिशत अंक के आधार पर मेघा सूची तैयार किया जाएगा। मेघा सूची में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के मेघा अंक समान रहने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। मेघा सूची कोटिवार तैयार की जाएगी। एक अभ्यर्थी एक ही विषय में आवेदन कर सकेगा, एक से अधिक विषय में आवेदन करने की स्थिति में उसके नामांकन का दावा अमान्य कर दिया जाएगा।
3. राज्य सरकार द्वारा ली गई STET परीक्षा में उत्तीर्ण एवं नियोजित शिक्षकों के प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय का भुगतान अभ्यर्थी/शिक्षक द्वारा किया जायेगा।
4. मार्गदर्शिका संकल्प संख्या 11/व० 02–01/2002 –1068 दिनांक 04.07.2008 की संशोधित मार्गदर्शिका संकल्प संख्या 20/प्र० 07–44/2012 – 408 दिनांक 04.10.2012 की शेष शर्त्तें यथावत रहेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(सुनील कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

S-20 Letter New

(606)

ज्ञापांक : 20 / वि० 01–14 / 2012 .... दिनांक ....

प्रतिलिपि : अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित तथा 500 प्रतियाँ उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

ह० / –
(संयुक्त सचिव)
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक : 20 / वि० 01–14 / 2012 .... दिनांक ....

प्रतिलिपि : मुख्य मंत्री, बिहार, पटना के प्रधान सचिव, मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव / मुख्य सचिव के सचिव, बिहार / विकास आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह० / –
(संयुक्त सचिव)
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक : 20 / वि० 01–14 / 2012 .... दिनांक ....

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह० / –
(संयुक्त सचिव)
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक : 20 / वि० 01–14 / 2012 ....407............................ दिनांक 24/7/2013

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक / सभी जिला पदाधिकारी / सभी कोषागार पदाधिकारी / उप कोषागार पदाधिकारी / सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी / सभी प्राचार्य, राजकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(संयुक्त सचिव)
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना